

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/2026
जीसीएमएस नं. : 2026/15

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री कलीमुद्दीन/ ईशाक बावनी, सेक्रेट्री, दाउदी बोहरा
जमात, सैफी मौहल्ला, कुशलगढ

उपस्थित

-विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 18-03-2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैध भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 19.02.2026 को सैफी मौहल्ला कुशलगढ स्थित दाउदी बोहरा जमात की जांच उसके सेक्रेट्री श्री कलीमुद्दीन/ ईशाक बावनी की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	HPCL	9048 S	16.900	15.900	1.00
2	HPCL	832254	16.100	16.100	0.000



श्री कलीमुद्दीन/ ईशाक बावनी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के



जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर इण्डेन गैस सर्विस, कुशलगढ के प्रतिनिधि श्री मनिष बारिया/ धनजी को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18.03.2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर बहस हेतु निवेदन किया जिस पर सुना गया। अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का कोई अवैध व्यवसाय या कारोबार नहीं किया जाता है और न ही अवैध भण्डारण किया जाता है। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अप्रार्थी का नहीं है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्तशुदा 2 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। परिवादी ने कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैध भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 19.02.2026 को सैफी मौहल्ला कुशलगढ स्थित दाउदी बोहरा जमात की जांच उसके सेक्रेट्री श्री कलीमुद्दीन/ ईशाक बावनी की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। श्री कलीमुद्दीन/ ईशाक बावनी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर इण्डेन गैस सर्विस, कुशलगढ के प्रतिनिधि श्री मनिष बारिया/ धनजी को सुपुर्दगी में दिया गया।



जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18-03-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(*Handwritten Signature*)
(*Handwritten Signature*)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)